अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6341(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजा, प्रशीतित और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजा, जमे हुए और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजा, प्रशीतित और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 के उप-नियम 16.2, के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"16.2 प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 730(ई) दिनांक 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 415(ई) दिनांक 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(ई) दिनांक 24 सितम्बर, 2002, का.आ. 1034(ई) दिनांक 09 सितम्बर, 2003, का.आ. 717 दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 612 दिनांक 15 फरवरी, 2007, का.आ. 1519(ई) दिनांक 16 जून, 2008, का.आ. 2714 (ई) दिनांक 28 अक्टूबर, 2009, का.आ. 143 (ई) दिनांक 21 जनवरी, 2011 तथा का.आ. 497(ई) दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6341(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, for sub-rule 16.2, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"16.2. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B.) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs. 25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the processor / exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 730(E) dated the 21st August, 1995 and subsequently amended vide notification number S.O. 415(E), dated the 11th April, 2002, S.O. 1029(E), dated the 24th September, 2002, S.O. 1034 (E), dated the 9th September, 2003, S.O. 717, dated the 25th February, 2005, S.O. 612, dated the 15th February, 2007, S.O. 1519 (E), dated the 16th June, 2008, S.O. 2714 (E), dated the 28th October, 2009, S.O. 143 (E), dated the 21st January, 2011 and S.O. 497 (E), dated the 10th March, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.03 19:13:12 +05'30'